भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा।

दाखिल खारिज वाद सं0–05/2014–15

सत्येन्द्र प्रसाद सिंह

बनाम्

दिलीप भगत वगै0

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। अपीलकर्त्ता श्री 1. सत्येन्द्र प्रसाद सिंह, पे0–स्व0 गुरू प्रसाद सिंह, ग्राम–पथरगामा, 2. प्रवीण कुमार, 3. प्रीतम कुमार पे0–सत्येन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम–उदयपाड़ा (कुरावा) अंचल–पथरगामा, जिला–गोड्डा ने अंचल अधिकारी, पथरगामा के नामान्तरण वाद सं0–24/2005–06 अन्तर्गत दिनांक–11.02.2006 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है।

प्रसांगिक भूमि मौजा– घाट पथरगामा, थाना नं0–152, खाता नं0–46, खेसरा नं0–91, रकवा–02–12–13 धुर, किस्म– धा–।। अन्तर्गत 00–01–10 धुर भूमि दाखिल खारिज से संबंधित है।

संबंधित नामांतरण वाद सं0–24/2005–06 का अभिलेख अंचल अधिकारी, पथरगामा से प्राप्त है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा– घाट पथरगामा, थाना नं0–152, खाता नं0–46, खेसरा नं0–91, रकवा–02–12–13 धुर, किस्म–धा–।। दर्ज है। ऐसी परिस्थिति में भूमि का हस्तान्तरण बसौड़ी भूमि मानते हुए किस प्रकार किया गया है यह सन्देह का विषय है।

उभय पक्ष द्वारा खतियान की सच्ची प्रतिलिपि जमा नहीं किया गया है।

प्रथम पक्ष के द्वारा बतलाया गया कि दाखिल खारिज की गई भूमि खरीद कर उनके द्वारा छोटा मकान बनाया गया था। द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त मकान को उनसे हड़प लिया गया एवं वापस नहीं किया गया। शीतल प्रसाद भगत द्वारा उक्त जमीन को गैर निबंधित दस्तावेज द्वारा खरीद कर उपरोक्त दाखिल–खारिज वाद द्वारा 11.02.2006 को दाखिल–खारिज करा लिया गया है। इस भूमि के संबंध में बाद में अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा एवं उपायुक्त, गोड्डा के न्यायालय में वाद चला है। वाद की प्रति जमा नहीं किया गया है।

द्वितीय पक्ष दिलीप भगत द्वारा बतलाया गया कि उक्त भूमि पर शीतल प्रसाद भगत द्वारा खरीद कर मकान बनाया गया था जिसका दाखिल–खारिज अंचल अधिकारी, पथरगामा द्वारा किया गया। इस भूमि के संबंध में बाद में अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा एवं उपायुक्त, गोड्डा के न्यायालय में वाद चला परन्तु उनके विरूद्ध आदेश पारित नहीं हुआ। वर्त्तमान में प्रमण्डलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के न्यायालय में वाद चल रहा है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि श्री शीतल प्रसाद भगत द्वारा निबंधित दस्तावेज द्वारा भूमि का क्रय नहीं किया गया है। राजस्व कर्मचारी/प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार मौजा– घाट पथरगामा, थाना नं0–152, खाता नं0–46, खेसरा नं0–91, रकवा–02–12–13 धुर, किस्म– धा–।। दर्ज है। ऐसी परिस्थित में यह स्पष्ट नहीं है कि यह भूमि बसौड़ी भूमि है एवं अंतरणीय है। इस आधार पर दाखिल–खारिज अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,